

24 मार्च, 2025 को विकास आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित सीपज़-सेज़ के लिए अनुमोदन समिति की 197 वीं बैठक का कार्यवृत्त।

MINUTES OF 197th MEETING OF THE APPROVAL COMMITTEE FOR SEEPZ SEZ HELD UNDER THE CHAIRMANSHIP OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER ON 24-03-2025

एसईजेड का नाम Name of the SEZ	सीपज़-सेज़ SEEPZ-SEZ
बैठक संख्या Meeting No	197 वी
दिनांक Date	24.03.2025

उपस्थित सदस्य:

Members Present:

क्र. S.N.	सदस्यों का नाम Name of Members	पद का नाम Designation	संगठन Organization
1	श्रीमती मितल एस. हिरेमठ Smt. Mital S. hiremath	संयुक्त विकास आयुक्त, Jt. Development Commissioner	सीपज़-सेज़ / SEEPZ-SEZ
2	श्री राजेश परदेशी Shri. Rajesh Pardeshi	संयुक्त आयुक्त आयकर Joint Commissioner Income Tax	आयकर आयुक्त कार्यालय, मुंबई के नामिती / Nominee of Commissioner of Income Tax office, Mumbai
3	श्री हिमांशु धर पांडे Shri. Himanshu Dhar Pandey	उप निदेशक डीजीएफटी Deputy Director DGFT	अतिरिक्त डीजीएफटी, मुंबई के नामित / Nominee of the Additional DGFT, Mumbai
4	श्रीमती मीरा रामकृष्णन Smt. Meera Ramkrishan	सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क / Asstt. Commissioner of Customs	सीमा शुल्क आयुक्त, जनरल, एयर कार्गो, सहार के नामिती / Nominee of Commissioner of Customs, General, Air Cargo, Sahar
5	श्रीमती पूनम दराडे Smt. Poonam Darade	उप निदेशक उद्योग Deputy Director Industries	डीसी इंडस्ट्रीज, महाराष्ट्र सरकार के नामिती। Nominee of DC Industries, Government of Maharashtra.
6.	श्री जय मनोज शाह Shri Jay Manoj Shah	उप विकास आयुक्त, Dy. Development Commissioner, SEEPZ- SEZ तथा विनिर्दिष्ट अधिकारी / Specified Officer	सीपज़-सेज़/ SEEPZ-SEZ
7	श्री बालासाहेब बोराडे Shri Balasaheb Borade	विनिर्दिष्ट अधिकारी Specified Officer	सीपज़-सेज़/ SEEPZ-SEZ

श्री जय दीप, एडीसी, श्री विवेक जरवाल, एडीसी और श्री हनीश राठी, एडीसी बैठक के सुचारु संचालन और सहायता के लिए उपस्थित थे।	Shri Jai Deep, ADC, Shri Vivek Zarwal, ADC and Shri Hanish Rathi, ADC attended for assistance and smooth functioning of the meeting.
कार्यसूची मद सं 01: 03.03.2025 को आयोजित 196 वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि। समिति ने सभी स्थगित प्रस्तावों को अगली बैठक में रखने का निर्देश दिया।	Agenda Item No. 01: Confirmation of the Minutes of the 196th Meeting held on 03.03.2025. The committee directed to place all the deferred proposals in the next meeting.

कार्यसूची मद सं 02 : मेसर्स प्रायोरिटी ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी का नाम बदलकर मेसर्स प्रायोरिटी ज्वेल्स लिमिटेड करने का प्रस्ताव ।	Agenda Item No. 02: Proposal of change of name of the company of M/s. Priority Jewels Pvt. Ltd to M/s Priority Jewels Ltd
एमओसीएंडआई निर्देश संख्या 109 दिनांक 18.10.2021 के अनुसार इकाई का नाम मेसर्स प्रायोरिटी ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड से मेसर्स प्रायोरिटी ज्वेल्स लिमिटेड में बदलने का अनुरोध।	Request for Change of the name of the unit from M/s. Priority Jewels Pvt. Ltd to M/s. Priority Jewels Limited in terms of MOC&I Instruction No. 109 dated 18.10.2021.

The List of Directors and Shareholding Pattern Before & After are as under :

List of Directors before and after change of name:

Sr. No.	Name of Directors before change of name (Priority Jewels Pvt Ltd)	Sr. No.	Name of Directors after change of name (M/s. Priority Jewels Ltd)
1.	Shailesh H Sangani (Managing Director)	1.	Shailesh H Sangani (Managing Director)
2.	Tushar A Mehta (Director)	2.	Tushar A Mehta (Director)
3.	Aditi Motla (Additional Director)	3.	Aditi Motla (Additional Director)

- There is no change in List of Directors before & After

List of Shareholding Pattern before and after change of name:

Before :

Sr. No.	Name of Shareholder	No. of shares held	Percentage	Amount per share	Total Amount (in Rs.)
1	Mr. Shailesh Sangani	13,50,000	42.86	10	1,35,00,000
2	Mrs. Manisha Sangani	8,00,000	25.40	10	80,00,000
3	Mrs. Aditi Motla	5,00,000	15.87	10	50,00,000
4	Priority Retail Ventures Private Limited	4,99,970	15.87	10	49,99,700
5	Isha Tushar Mehta	10	0.00	10	100
6	Tushar Anantrai Mehta	10	0.00	10	100
7	Aashna Sangani Parikh	10	0.00	10	100
	Total	31,50,000	100	10	3,15,00,000

After:

Sr. No.	Name of Shareholder	No. of shares held	Percentage	Amount per share	Total Amount (in Rs.)
1	Mr. Shailesh Sangani	13,50,000	42.86	10	1,35,00,000
2	Mrs. Manisha Sangani	8,00,000	25.40	10	80,00,000
3	Mrs. Aditi Motla	5,00,000	15.87	10	50,00,000
4	Priority Retail Ventures Private Limited	4,99,970	15.87	10	49,99,700
5	Isha Tushar Mehta	10	0.00	10	100
6	Tushar Anantrai Mehta	10	0.00	10	100
7	Aashna Sangani Parikh	10	0.00	10	100
	Total	31,50,000	100	10	3,15,00,000

- There is no change in Shareholding Pattern of Directors before & After.

निर्णय: विचार-विमर्श के बाद, समिति ने मंत्रालय के दिनांक 18.10.2021 के निर्देश संख्या 109 के अनुसार कंपनी के नाम में परिवर्तन के लिए इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके अलावा, समिति ने इकाई को दिनांक 18.10.2021 के निर्देश संख्या 109 के अनुसार शर्तों का पालन करने का भी निर्देश दिया।	Decision: After deliberation, the Committee approved the proposal of the unit for Change in Name of the Company in terms of MOC&I Instruction no. 109 dated 18.10.2021. Further, the Committee also directed the unit to comply with the conditions as per Instruction no. 109, dated 18.10.2021.
--	---

कार्यसूची मद सं 03: सेवाओं की अतिरिक्त सूची के लिए मेसर्स वेबफाई सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड से आवेदन प्राप्त हुआ।	Agenda Item No. 03: Application received from M/s. Webify Services (India) Pvt. Ltd for Additional List of Services.
--	---

The unit vide letter dated 04.02.2025 has requested for Additional List of services for their Authorized Operations are as under:

Sr. No.	List of Approved Services	Justification
1.	Club Association Services	The services we availed for Export Promotion Council Membership from EPCES for EOUs and SEZs and this is mandatory requirement as per Rule 2 (1-zg) of SEZ Rules 2006.
2	Business Auxiliary Services	These are essentially back office services, which we outsourced to contractors. These services are availed primarily to support our main business activities and to facilitate smooth functioning of the Company. Even, though these are routine services, these are vital for performing the authorized operations of the company. We take this service for payroll related services.

निर्णय: विचार-विमर्श के बाद समिति ने केवल एक सेवा अर्थात [क्लब एसोसिएशन सेवाएं] को मंजूरी दी जो केवल व्यापारिक मामलों तक ही सीमित है अर्थात ईपीसीईएस।	Decision: After deliberation, the Committee approved only one of the services i.e. [Club association services] restricted to trade matters only i.e. EPCES.Regarding Buisness auxiliary services the unit failed to justify outside SEZ how can Specified officer give tax benefits ?
--	--

कार्यसूची मद सं 04: सीपज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र, अंधेरी पूर्व, मुंबई- 400096 में बिजली के लिए टैरिफ शुल्क में कमी के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक सामग्री की सूची के लिए मेसर्स एईएमएल सीपज़ लिमिटेड से आवेदन प्राप्त हुआ।	Agenda Item No. 04 : Application received from M/s. AEML SEEPZ Limited for List of Material required for implementation of reduction of tariff charges for electricity at SEEPZ Special Economic Zone, Andheri East, Mumbai- 400096.
---	---

<p>सह-डेवलपर ने सीपज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र में बिजली के लिए टैरिफ़ शुल्क में कमी के कार्यान्वयन के लिए 11408.44 करोड़ रुपये की सामग्री की सूची के अनुमोदन के लिए अनुरोध किया। चार्टर्ड इंजीनियर श्री विजय डी. खामकर द्वारा प्रमाणित दिनांक 31.12.2024 के पत्र के अनुसार।</p>	<p>The Co-Developer requested for the approval for list of material worth Rs. 11408.44/- Lakh for implementation of reduction of tariff charges for electricity at SEEPZ Special Economic Zone. Vide letter dated 31.12.2024 certified by the Chartered Engineer Mr. Vijay. D. Khamkar dated 26.12.2024.</p>
<p>निर्दिष्ट अधिकारी, एसईईपीजेड-एसईजेड ने दिनांक 20.03.2025 के पत्र द्वारा सामग्रियों की सूची का सत्यापन किया था।</p>	<p>The Specified Officer, SEEPZ-SEZ vide letter dated 20.03.2025 had verified the list of materials.</p>
<p>निर्णय: विचार-विमर्श के बाद, समिति ने सीपज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र, अंधेरी ईस्ट, मुंबई- 400096 में बिजली के लिए टैरिफ़ शुल्क में कमी के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक सामग्री की सूची के प्रस्ताव को स्थगित कर दिया और मेसर्स एईएमएल सीपज़ लिमिटेड को निर्देश दिया कि प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले एमईआरसी से अनुमोदन प्राप्त करें। नेस्ट-II के लिए 7 करोड़ और नेस्ट-I के लिए 2 करोड़ की अनुमति दी गई।</p>	<p>Decision : After deliberation, the Committee Partially approved the proposal of the Co-Developer i.e. allowed material for electricity infrastructure Rs.7 Crore for NEST – II & 2 Crore for NEST –I and for remaining list of material the Committe directed M/s. AEML SEEPZ Limited to first take approval from MERC before submission of proposal required for implementation of reduction of tariff charges for electricity at SEEPZ Special Economic Zone, Andheri East, Mumbai-400096.</p>
<p>कार्यसूची मद सं 05: मेसर्स ग्लोबल ज्वैलरी प्राइवेट लिमिटेड से सभी स्वीकार्य वस्तुओं (10,000 पीसीएस) को हीरे/रंग से सजाने के बाद या बिना कीमती धातु के निर्यात के लिए आयात करने की अनुमति के लिए आवेदन प्राप्त हुआ।</p>	<p>Agenda Item No. 05 : Application received from M/s. Global Jewellery Pvt. Ltd for permission to Import All Allowable Items (10,000 PCS) for exporting the same after adoring with diamond/color with or without precious metal.</p>
<p>इकाई ने सभी स्वीकार्य वस्तुओं (10,000 पीसीएस) के आयात की अनुमति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, ताकि उन्हें बहुमूल्य धातु के साथ या उसके बिना हीरे/रंग से अलंकृत करके निर्यात किया जा सके।</p>	<p>The unit has submitted the application for permission to Import All Allowable Items (10,000 PCS) for exporting the same after adoring with diamond/color with or without precious metal.</p>
<p>निर्णय: विचार-विमर्श के बाद समिति ने प्रस्ताव को स्थगित कर दिया तथा निर्देश दिया कि यदि वे माल का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करें तो विकास आयुक्त कार्यालय अनुमति दे देगा।</p>	<p>Decision: After deliberation, the Committee deferred the proposal, stating that a detailed description of the goods is required to consider the proposal. Furthermore, at the request of the Unit to expedite the approval, the Committee has suggested that the DC office may consider the possibility of granting in-principle approval to facilitate the trade, subject to post-ratification by the Approval Committee.</p>
<p>कार्यसूची मद सं 06: एलओए मेसर्स गोल्ड स्टार ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट-II) एलओए संख्या सीपज़-एसईजेड/आईए-आई/एनयूएस/जीएंडजे/04/2015-16/02407, दिनांक 17.02.2022 को मेसर्स गोल्ड स्टार ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड एलओए संख्या सीपज़ एसईजेड/एनयूएस/एपीएल/जीजे/243/99-00/वी-III/07728, दिनांक 09.07.2020 में विलय के लिए आवेदन।</p>	<p>Agenda Item No. 06 : Application for Merger of LOA M/s. Gold Star Jewellery Pvt. Ltd (Unit-II) LOA No. SEEPZ-SEZ/IA-I/NUS/G&J/04/2015-16/02407, Dated 17.02.2022 into M/s. Gold Star Jewellery Pvt. Ltd LOA No. SEEPZ SEZ/NUS/APL/GJ/243/99-00/V-III/07728, Dated 09.07.2020.</p>

इकाई ने एलओए मेसर्स गोल्ड स्टार ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट- I I) एलओए संख्या सीपज़-एसईजेड/आईए-आई/एनयूएस/जीएंडजे/04/2015-16/ 0 2 4 0 7 , दिनांक 17.02.2022 को मेसर्स गोल्ड स्टार ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड एलओए संख्या सीपज़ एसईजेड/एनयूएस/एपीएल/जीजे/243/99-00/वी-III/07728, दिनांक 09.07.2020 में विलय के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है और निम्नलिखित विवरण के साथ सभी प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं:-	The unit has submitted application for Merger of LOA M/s. Gold Star Jewellery Pvt. Ltd (Unit-II) LOA No. SEEPZ-SEZ/IA-I/NUS/G&J/04/2015-16/02407, Dated 17.02.2022 into M/s. Gold Star Jewellery Pvt. Ltd LOA No. SEEPZ SEZ/NUS/APL/GJ/243/99-00/V-III/07728, Dated 09.07.2020 and submitted all relevant documents with following details:-
--	--

LIST OF DIRECTOR PRE-MERGER AND POST-MERGER ARE SAME.

Sr. No.	Name of the Director	Designation
1.	Ashish Shah	Managing Director
2.	Alkesh Shah	Director
3.	Vikaram Advani	Director

SHAREHOLDING PRE-MERGER AND POST-MERGER ARE SAME.

Sr. No.	Name of Equity Shareholder	No. of Equity Shares	Amount	% of total Capital
1	Alkesh Shah/Smita Shah	651,807	6,518,070	8.32
2	Smita A Shah	1,230,093	12,300,930	15.71
3	Hansa Shah as Trustee of Alkesh Shah Family Trust	3,296,390	32,963,900	42.10
4	Alkesh S Shah	1,105,000	11,050,000	14.11
5	Hansa Shah as Trustee of Sanjay Shah Family Trust	1,546,706	15,467,060	19.75
	Total Equity Shares	7,829,996	78,299,960	100

It is seen from the above that there is no change in the Directors and shareholding pattern of the company.

निर्णय:- विचार-विमर्श के बाद, समिति ने एलओए मेसर्स गोल्ड स्टार ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट-II) एलओए संख्या सीपज़-एसईजेड/आईए-आई/एनयूएस/जीएंडजे/04/2015-16/02407, दिनांक 17.02.2022 को मेसर्स गोल्ड स्टार ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड एलओए संख्या सीपज़ एसईजेड/एनयूएस/एपीएल/जीजे/243/99-00/वी-III/07728, दिनांक 09.07.2020 में विलय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके अलावा, समिति ने इकाई को निर्देश संख्या 109, दिनांक 18.10.2021 के अनुसार निम्नलिखित सुरक्षा उपायों का पालन करने का भी निर्देश दिया।	Decision:- After deliberation, the Committee approved the proposal for Merger of LOA M/s. Gold Star Jewellery Pvt. Ltd (Unit-II) LOA No. SEEPZ-SEZ/IA-I/NUS/G&J/04/2015-16/02407, Dated 17.02.2022 into M/s. Gold Star Jewellery Pvt. Ltd LOA No. SEEPZ SEZ/NUS/APL/GJ/243/99-00/V-III/07728, Dated 09.07.2020. Further, the Committee also directed the unit to comply with the following safeguards in terms of Instruction no. 109, dated 18.10.2021.
---	---

कार्यसूची मद सं 07: मेसर्स ई-एम्फेसिस सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड से, 18.03.2025 से 17.03.2030 तक, 2025-26 से 2029-30 तक की 5 वर्ष की अवधि के लिए एलओए के नवीकरण के साथ-साथ मौजूदा वस्तुओं में क्षमता वृद्धि के लिए आवेदन प्राप्त हुआ।

Agenda Item No. 07: Application received from M/s. E-emphasys Systems Pvt. Ltd, for Capacity Enhancement in existing items alongwith Renewal of LOA for further period of 5 years i.e. 2025-26 to 2029-30 w.e.f. 18.03.2025 to 17.03.2030.

मेसर्स ई-एम्फेसिस सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड ने 18.03.2025 से 17.03.2030 तक 5 साल यानी 2025-26 से 2029-30 तक के लिए एलओए के नवीनीकरण के साथ मौजूदा मदों में क्षमता वृद्धि के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। इसका विवरण इस प्रकार है:

M/s. E-emphasys Systems Pvt. Ltd had submitted the application for Capacity Enhancement in existing items alongwith Renewal of LOA for further period of 5 years i.e. 2025-26 to 2029-30 w.e.f. 18.03.2025 to 17.03.2030. The details of the same are as under:

A. Capacity Enhancement of Item:-

Sr. No.	Items of Manufacture	Approved Capacity (INR) in Cr.	Proposed Capacity (Indian Rupees) (INR) in Cr.
a)	Software Development Support Services	49.20	94.10

It is seen from above mentioned table the unit has capacity enhancement of their existing approved item i.e. Software Development Support Services from Rs. 49.20 Cr. to Rs. 94.10 Cr.

निर्णय: विचार-विमर्श के बाद समिति ने सॉफ्टवेयर विकास सहायता सेवाओं के मदों में क्षमता वृद्धि के लिए इकाई के प्रस्ताव को 492000000.00 से 941000000.00 तक अनुमोदित किया।

Decision : After deliberation, the Committee **approved** the proposal of the unit for Capacity Enhancement in items of Software Development Support Services from Rs 49.20 Crores to Rs. 94.10 Crores.

कार्यसूची मद सं 08: मेसर्स यूरोशाइन ज्वेलरी वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड से, 01.04.2025 से 17.03.2030 तक 5 वर्ष की अतिरिक्त अवधि अर्थात 2025-26 से 2029-30 तक के लिए एलओए के नवीकरण सहित विद्यमान मद की क्षमता वृद्धि के लिए आवेदन प्राप्त हुआ।

Agenda Item No. 08: Application received from M/s. Euroshine Jewellery Works Pvt. Ltd, for Capacity Enhancement of Existing Item alongwith Renewal of LOA for further period of 5 years i.e. 2025-26 to 2029-30 w.e.f. 01.04.2025 to 17.03.2030.

यूरोशाइन ज्वेलरी वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड ने 01.04.2025 से 17.03.2030 तक 5 साल यानी 2025-26 से 2029-30 तक के लिए LOA के नवीनीकरण के साथ-साथ मौजूदा वस्तुओं में क्षमता वृद्धि के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। इसका विवरण इस प्रकार है:

Euroshine Jewellery Works Pvt. Ltd had submitted the application for Capacity Enhancement in existing items alongwith Renewal of LOA for further period of 5 years i.e. 2025-26 to 2029-30 w.e.f. 01.04.2025 to 17.03.2030. The details of the same are as under:

A. Capacity Enhancement of Item:-

Sr. No.	Items of Manufacture/ Trading	Approved Capacity (Metric)	Proposed Capacity ((Metric)
a)	Plain Brass Jewellery & Studded	1000.00	2500.00

It is seen from above mentioned table the unit has capacity enhancement of their existing approved item i.e. Plain Brass Jewellery & Studded from 1000.00 to 2500.00.

<p>निर्णय: विचार-विमर्श के बाद समिति ने सादे पीतल के आभूषणों और जड़ित वस्तुओं की क्षमता को 1000.00 से बढ़ाकर 2500.00 करने के लिए इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।</p>	<p>Decision: After deliberation, the Committee approved the proposal of the unit for Capacity Enhancement in items of Plain Brass Jewellery & Studded from 1000.00 to 2500.00.</p>
<p>कार्यसूची मद सं 09: संलग्न एफएसआर [26 संख्या] के अनुसार इकाइयों के प्रदर्शन की निगरानी।</p>	<p>Agenda Item No. 09: Monitoring performance of the Units as per the FSRs [26 nos] attached.</p>
<p>एफएसआर 91. मेसर्स एडवांस पावर डिस्प्ले सिस्टम्स लिमिटेड के 4 वर्षों की अवधि अर्थात् 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के लिए प्रदर्शन की निगरानी।</p> <p>इकाई ने 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की अवधि के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित एपीआर प्रस्तुत किया है। 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की अवधि के लिए निर्यात और आयात डेटा को एपीआर में उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए डेटा के साथ क्रॉस सत्यापन के लिए एनएसडीएल से प्राप्त किया गया और इसे संतोषजनक पाया गया।</p>	<p>FSR 91. Monitoring Performance of M/s. Advance Power Display Systems Ltd for the period of 4 years i.e. 2020-21, 2021-22, 2022-23 and 2023-24.</p> <p>The unit has submitted the APR for the period 2020-21, 2021-22, 2022-23 and 2023-24 duly certified by Chartered Accountant. The export and import data for the period 2020-21, 2021-22, 2022-23 and 2023-24 was retrieved from NSDL for cross verification with data submitted by them in the APR and same was found satisfactory.</p>
<p>निर्णय: विचार-विमर्श के बाद, समिति ने 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की अवधि के लिए इकाई के प्रदर्शन पर ध्यान दिया क्योंकि इकाई ने एसईजेड नियम 2006 के नियम 54 के अनुसार संचयी आधार पर सकारात्मक एनएफई हासिल किया था।</p> <p>समिति ने भी निर्देश दिया की 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की अवधि के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में देरी के लिए इकाई को कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए कार्रवाई शुरू करे।</p>	<p>Decision: After deliberation, the Committee noted the performance of the unit for the period 2020-21, 2021-22, 2022-23 and 2023-24 as the unit had achieved positive NFE on cumulative basis in terms of Rule 54 of SEZ Rules 2006.</p> <p>The Committee also directed to initiate action for issuance of Show Cause notice to the unit for delay in submission of APR for the period 2020-21, 2021-22, 2022-23 and 2023-24.</p>
<p>एफएसआर 92. मेसर्स अरिवा ज्वेलरी के 4 वर्षों की अवधि अर्थात् 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के लिए प्रदर्शन की निगरानी।</p> <p>इकाई ने 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की अवधि के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित एपीआर प्रस्तुत किया है। 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की अवधि के लिए निर्यात और आयात डेटा को एपीआर में उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए डेटा के साथ क्रॉस सत्यापन के लिए एनएसडीएल से प्राप्त किया गया और इसे संतोषजनक पाया गया।</p>	<p>FSR 92. Monitoring Performance of M/s. Arriva Jewellery for the period of 4 years i.e. 2020-21, 2021-22, 2022-23 and 2023-24.</p> <p>The unit has submitted the APR for the period 2020-21, 2021-22, 2022-23 and 2023-24 duly certified by Chartered Accountant. The export and import data for the period 2020-21, 2021-22, 2022-23 and 2023-24 was retrieved from NSDL for cross verification with data submitted by them in the APR and same was found satisfactory.</p>
<p>निर्णय: विचार-विमर्श के बाद, समिति ने 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की अवधि के लिए इकाई के प्रदर्शन पर ध्यान दिया क्योंकि इकाई ने एसईजेड नियम 2006 के नियम 54 के अनुसार संचयी आधार पर सकारात्मक एनएफई हासिल किया था।</p> <p>समिति ने यह भी निर्देश दिया कि</p> <p>i. इकाई को रुपये 7,20,845.12/- का बकाया चुकाना होगा।</p> <p>ii. 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की अवधि के लिए एपीआर प्रस्तुत करने में देरी के साथ-साथ सकारात्मक एनएफई प्राप्त न करने के लिए इकाई को कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए कार्रवाई शुरू करें।</p>	<p>Decision: After deliberation, the Committee noted the performance of the unit for the period 2020-21, 2021-22, 2022-23 and 2023-24 as the unit had achieved positive NFE on cumulative basis in terms of Rule 54 of SEZ Rules 2006.</p> <p>The Committee also directed that</p> <ol style="list-style-type: none"> i. The unit to clear the outstanding dues of Rs.7,20,845.12/-. ii. Initiate action for issuance of Show Cause notice to the unit for delay in submission of APR for the period 2020-21, 2021-22, 2022-23 and 2023-24 as well as non- achieving positive NFE.

<p>एफएसआर 93. मेसर्स बिरलासॉफ्ट लिमिटेड के 1 वर्ष अर्थात् 2023-24 की अवधि के लिए कार्यनिष्पादन की निगरानी।</p> <p>इकाई ने 2023-24 की अवधि के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। वार्षिक रिपोर्ट में उनके द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के साथ क्रॉस सत्यापन के लिए एनएसडीएल से 2023-24 की अवधि के लिए निर्यात और आयात डेटा प्राप्त किया गया और इसे संतोषजनक पाया गया।</p>	<p>FSR 93. Monitoring Performance of M/s. Birlasoft Ltd. for the period of 1 year i.e. 2023-24.</p> <p>The unit has submitted the APR for the period 2023-24 duly certified by Chartered Accountant. The export and import data for the period 2023-24 was retrieved from NSDL for cross verification with data submitted by them in the APR and same was found satisfactory.</p>
<p>निर्णय: विचार-विमर्श के बाद, समिति ने 2023-24 की अवधि के लिए इकाई के प्रदर्शन पर ध्यान दिया क्योंकि इकाई ने एसईजेड नियम 2006 के नियम 54 के अनुसार संचयी आधार पर सकारात्मक एनएफई हासिल किया था।</p>	<p>Decision: After deliberation, the Committee noted the performance of the unit for the period 2023-24 as the unit had achieved positive NFE on cumulative basis in terms of Rule 54 of SEZ Rules 2006.</p>
<p>एफएसआर 94. मेसर्स सी.जे.ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड के 1 वर्ष अर्थात् 2023-24 की अवधि के लिए प्रदर्शन की निगरानी।</p> <p>इकाई ने 2023-24 की अवधि के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। वार्षिक रिपोर्ट में उनके द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के साथ क्रॉस सत्यापन के लिए एनएसडीएल से 2023-24 की अवधि के लिए निर्यात और आयात डेटा प्राप्त किया गया और इसे संतोषजनक पाया गया।</p>	<p>FSR 94. Monitoring Performance of M/s. C.J.Jewellers Pvt. Ltd for the period of 1 year i.e. 2023-24.</p> <p>The unit has submitted the APR for the period 2023-24 duly certified by Chartered Accountant. The export and import data for the period 2023-24 was retrieved from NSDL for cross verification with data submitted by them in the APR and same was found satisfactory.</p>
<p>निर्णय: विचार-विमर्श के बाद, समिति ने 2023-24 की अवधि के लिए इकाई के प्रदर्शन पर ध्यान दिया क्योंकि इकाई ने एसईजेड नियम 2006 के नियम 54 के अनुसार संचयी आधार पर सकारात्मक एनएफई हासिल किया था। समिति ने इकाई को रुपए 7232.77/- का बकाया भुगतान करने का भी निर्देश दिया।</p>	<p>Decision: After deliberation, the Committee noted the performance of the unit for the period 2023-24 as the unit had achieved positive NFE on cumulative basis in terms of Rule 54 of SEZ Rules 2006. The Committee also directed the unit to clear the outstanding dues of Rs.7232.77/-.</p>
<p>एफएसआर 95. मेसर्स क्राफ्ट्समैन ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड के 4 वर्षों की अवधि अर्थात् 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के लिए प्रदर्शन की निगरानी।</p> <p>इकाई ने 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की अवधि के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित एपीआर प्रस्तुत किया है। 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की अवधि के लिए निर्यात और आयात डेटा को एपीआर में उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए डेटा के साथ क्रॉस सत्यापन के लिए एनएसडीएल से प्राप्त किया गया और इसे संतोषजनक पाया गया।</p>	<p>FSR 95. Monitoring Performance of M/s. Craftsmen Jewellery Pvt. Ltd. for the period of 4 years i.e. 2020-21, 2021-22, 2022-23 and 2023-24.</p> <p>The unit has submitted the APR for the period 2020-21, 2021-22, 2022-23 and 2023-24 duly certified by Chartered Accountant. The export and import data for the period 2020-21,2021-22, 2022-23 and 2023-24 was retrieved from NSDL for cross verification with data submitted by them in the APR and same was found satisfactory.</p>

<p>निर्णय: विचार-विमर्श के बाद, समिति ने 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की अवधि के लिए इकाई के प्रदर्शन पर ध्यान दिया क्योंकि इकाई ने एसईजेड नियम 2006 के नियम 54 के अनुसार संचयी आधार पर सकारात्मक एनएफई हासिल किया था।</p> <p>समिति ने यह भी निर्देश दिया।</p> <p>i. इकाई को रुपये 9,10,239.53 रुपये का बकाया चुकाना होगा।</p> <p>ii. निर्यात निष्पादन प्राप्त न करने पर इकाई को चेतावनी पत्र।</p>	<p>Decision: After deliberation, the Committee noted the performance of the unit for the period 2020-21, 2021-22, 2022-23 and 2023-24 as the unit had achieved positive NFE on cumulative basis in terms of Rule 54 of SEZ Rules 2006.</p> <p>The Committee also directed.</p> <p>i. The unit to clear the outstanding dues of Rs.9,10,239.53/-.</p> <p>ii. Cautionary letter to unit for non-achievement of export performance.</p>
<p>एफएसआर 96. मेसर्स क्रिएशन्स जेम्स एंड ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड - यूनिट I के 4 वर्षों की अवधि अर्थात 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के लिए प्रदर्शन की निगरानी।</p> <p>इकाई ने 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की अवधि के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। वार्षिक रिपोर्ट में उनके द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के साथ क्रॉस सत्यापन के लिए एनएसडीएल से 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की अवधि के लिए निर्यात और आयात डेटा प्राप्त किया गया और इसे संतोषजनक पाया गया।</p>	<p>FSR 96. Monitoring Performance of M/s. Creations Gems and Jewellery Pvt. Ltd -Unit I for the period of 4 years i.e. 2020-21, 2021-22, 2022-23 and 2023-24.</p> <p>The unit has submitted the APR for the period 2020-21, 2021-22, 2022-23 and 2023-24 duly certified by Chartered Accountant. The export and import data for the period 2020-21, 2021-22, 2022-23 and 2023-24 was retrieved from NSDL for cross verification with data submitted by them in the APR and same was found satisfactory.</p>
<p>निर्णय: विचार-विमर्श के बाद, समिति ने 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की अवधि के लिए इकाई के प्रदर्शन पर ध्यान दिया क्योंकि इकाई ने एसईजेड नियम 2006 के नियम 54 के अनुसार संचयी आधार पर सकारात्मक एनएफई हासिल किया था।</p> <p>समिति ने यह भी निर्देश दिया कि</p> <p>i. 2022-23 की अवधि के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में देरी के लिए इकाई को कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए कार्रवाई शुरू करना।</p> <p>ii. समिति ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट दाखिल करने में 1 दिन की देरी को माफ करने पर सहमति व्यक्त की।</p>	<p>Decision: After deliberation, the Committee noted the performance of the unit for the period 2020-21, 2021-22, 2022-23 and 2023-24 as the unit had achieved positive NFE on cumulative basis in terms of Rule 54 of SEZ Rules 2006.</p> <p>The Committee also directed that</p> <p>i. Initiate action for issuance of Show Cause notice to the unit for delay in submission of APR for the period 2022-23.</p> <p>ii. The Committee agreed to condone the delay of 1 day in filing APR for F.Y. 2023-24.</p>
<p>एफएसआर 97. मेसर्स क्रिएशन जेम्स एंड ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड - यूनिट II के 4 वर्ष की अवधि अर्थात 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के लिए प्रदर्शन की निगरानी।</p> <p>इकाई ने 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की अवधि के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। वार्षिक रिपोर्ट में उनके द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के साथ क्रॉस सत्यापन के लिए एनएसडीएल से 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की अवधि के लिए निर्यात और आयात डेटा प्राप्त किया गया और इसे संतोषजनक पाया गया।</p>	<p>FSR 97. Monitoring Performance of M/s. Creations Gems and Jewellery Pvt. Ltd -Unit II for the period of 4 years i.e. 2020-21, 2021-22, 2022-23 and 2023-24.</p> <p>The unit has submitted the APR for the period 2020-21, 2021-22, 2022-23 and 2023-24 duly certified by Chartered Accountant. The export and import data for the period 2020-21, 2021-22, 2022-23 and 2023-24 was retrieved from NSDL for cross verification with data submitted by them in the APR and same was found satisfactory.</p>

<p>निर्णय: विचार-विमर्श के बाद, समिति ने 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की अवधि के लिए इकाई के प्रदर्शन पर ध्यान दिया क्योंकि इकाई ने एसईजेड नियम 2006 के नियम 54 के अनुसार संचयी आधार पर सकारात्मक एनएफई हासिल किया था।</p> <p>समिति ने यह भी निर्देशित किया</p> <p>i. 2022-23 की अवधि के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में देरी के लिए इकाई को कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए कार्रवाई शुरू करना।</p> <p>ii. समिति ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट दाखिल करने में 1 दिन की देरी को माफ करने पर सहमति व्यक्त की।</p>	<p>Decision: After deliberation, the Committee noted the performance of the unit for the period 2020-21, 2021-22, 2022-23 and 2023-24 as the unit had achieved positive NFE on cumulative basis in terms of Rule 54 of SEZ Rules 2006.</p> <p>The Committee also directed</p> <p>i. Initiate action for issuance of Show Cause notice to the unit for delay in submission of APR for the period 2022-23.</p> <p>ii. The Committee agreed to condone the delay of 1 day in filing APR for F.Y. 2023-24.</p>
<p>एफएसआर 98. मेसर्स डायगोल्ड क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड के 4 वर्षों की अवधि अर्थात् 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के लिए प्रदर्शन की निगरानी।</p> <p>इकाई ने 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की अवधि के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित एपीआर प्रस्तुत किया है। 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की अवधि के लिए निर्यात और आयात डेटा को एपीआर में उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए डेटा के साथ क्रॉस सत्यापन के लिए एनएसडीएल से प्राप्त किया गया और इसे संतोषजनक पाया गया।</p>	<p>FSR 98. Monitoring Performance of M/s. Diagold Creation Pvt. Ltd. for the period of 4 years i.e. 2020-21, 2021-22, 2022-23 and 2023-24.</p> <p>The unit has submitted the APR for the period 2020-21, 2021-22, 2022-23 and 2023-24 duly certified by Chartered Accountant. The export and import data for the period 2020-21, 2021-22, 2022-23 and 2023-24 was retrieved from NSDL for cross verification with data submitted by them in the APR and same was found satisfactory.</p>
<p>निर्णय: विचार-विमर्श के बाद, समिति ने 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की अवधि के लिए इकाई के प्रदर्शन पर ध्यान दिया क्योंकि इकाई ने एसईजेड नियम 2006 के नियम 54 के अनुसार संचयी आधार पर सकारात्मक एनएफई हासिल किया था।</p> <p>समिति ने यह भी निर्देशित किया</p> <p>i. इकाई को 2,56,656.58 रुपये का बकाया चुकाना होगा।</p> <p>ii. 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की अवधि के लिए एपीआर जमा करने में देरी के लिए इकाई को कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए कार्रवाई शुरू करें।</p>	<p>Decision: After deliberation, the Committee noted the performance of the unit for the period 2020-21, 2021-22, 2022-23 and 2023-24 as the unit had achieved positive NFE on cumulative basis in terms of Rule 54 of SEZ Rules 2006.</p> <p>The Committee also directed</p> <p>i. The unit to clear the outstanding dues of Rs.2,56,656.58/-</p> <p>ii. Initiate action for issuance of Show Cause notice to the unit for delay in submission of APR for the period 2020-21, 2021-22, 2022-23 and 2023-24.</p>
<p>एफएसआर 99. मेसर्स यूरोशाइन ज्वेलरी वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के 4 वर्ष की अवधि अर्थात् 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के लिए प्रदर्शन की निगरानी।</p> <p>इकाई ने 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की अवधि के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। वार्षिक रिपोर्ट में उनके द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के साथ क्रॉस सत्यापन के लिए एनएसडीएल से 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की अवधि के लिए निर्यात और आयात डेटा प्राप्त किया गया और इसे संतोषजनक पाया गया।</p>	<p>FSR 99. Monitoring Performance of M/s. Euroshine Jewellery Works Pvt. Ltd. for the period of 4 years i.e. 2020-21, 2021-22, 2022-23 and 2023-24.</p> <p>The unit has submitted the APR for the period 2020-21, 2021-22, 2022-23 and 2023-24 duly certified by Chartered Accountant. The export and import data for the period 2020-21, 2021-22, 2022-23 and 2023-24 was retrieved from NSDL for cross verification with data submitted by them in the APR and same was found satisfactory.</p>

<p>निर्णय: विचार-विमर्श के बाद, समिति ने 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की अवधि के लिए इकाई के प्रदर्शन पर ध्यान दिया क्योंकि इकाई ने एसईजेड नियम 2006 के नियम 54 के अनुसार संचयी आधार पर सकारात्मक एनएफई हासिल किया था।</p> <p>समिति ने यह भी निर्देशित किया</p> <p>i. इकाई को रु 29,080.48/- रुपए का बकाया चुकाना होगा।</p> <p>ii. 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की अवधि के लिए वार्षिक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में देरी के लिए इकाई को कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए कार्रवाई शुरू करना।</p>	<p>Decision: After deliberation, the Committee noted the performance of the unit for the period 2020-21, 2021-22, 2022-23 and 2023-24 as the unit had achieved positive NFE on cumulative basis in terms of Rule 54 of SEZ Rules 2006.</p> <p>The Committee also directed</p> <p>i. The unit to clear the outstanding dues of Rs.29,080.48/-</p> <p>ii. Initiate action for issuance of Show Cause notice to the unit for delay in submission of APR for the period 2021-22, 2022-23 and 2023-24.</p>
<p>एफएसआर 100. मेसर्स फ्लॉलेस ज्वेल्स के 3 वर्ष की अवधि अर्थात् 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के लिए प्रदर्शन की निगरानी।</p> <p>इकाई ने 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की अवधि के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। वार्षिक रिपोर्ट में उनके द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के साथ क्रॉस सत्यापन के लिए एनएसडीएल से 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की अवधि के लिए निर्यात और आयात डेटा प्राप्त किया गया और इसे संतोषजनक पाया गया।</p>	<p>FSR 100. Monitoring Performance of M/s. Flawless Jewels. for the period of 3 years i.e. 2021-22, 2022-23 and 2023-24.</p> <p>The unit has submitted the APR for the period 2021-22, 2022-23 and 2023-24 duly certified by Chartered Accountant. The export and import data for the period 2021-22, 2022-23 and 2023-24 was retrieved from NSDL for cross verification with data submitted by them in the APR and same was found satisfactory.</p>
<p>निर्णय: विचार-विमर्श के बाद, समिति ने 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की अवधि के लिए इकाई के प्रदर्शन पर ध्यान दिया क्योंकि इकाई ने एसईजेड नियम 2006 के नियम 54 के अनुसार संचयी आधार पर सकारात्मक एनएफई हासिल किया था।</p> <p>समिति ने यह भी निर्देशित किया</p> <p>i. इकाई को रुपये 2,66,870.12 रुपये का बकाया चुकाना होगा।</p> <p>ii. रोजगार बढ़ाने के साथ-साथ लक्ष्य प्राप्त न करने पर इकाई को चेतावनी पत्र।</p>	<p>Decision: After deliberation, the Committee noted the performance of the unit for the period 2021-22, 2022-23 and 2023-24 as the unit had achieved positive NFE on cumulative basis in terms of Rule 54 of SEZ Rules 2006.</p> <p>The Committee also directed</p> <p>i. The unit to clear the outstanding dues of Rs.2,66,870.12/-.</p> <p>ii. Warning letter to unit to increase the employment as well as non achieving the projection.</p>
<p>एफएसआर 101. मेसर्स गोल्ड स्टार ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड के 4 वर्षों की अवधि अर्थात् 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के लिए प्रदर्शन की निगरानी।</p> <p>इकाई ने 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की अवधि के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। वार्षिक रिपोर्ट में उनके द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के साथ क्रॉस सत्यापन के लिए एनएसडीएल से 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की अवधि के लिए निर्यात और आयात डेटा प्राप्त किया गया और इसे संतोषजनक पाया गया।</p>	<p>FSR 101. Monitoring Performance of M/s. Gold Star Jewellery Pvt. Ltd for the period of 4 years i.e. 2020-21, 2021-22, 2022-23 and 2023-24.</p> <p>The unit has submitted the APR for the period 2020-21, 2021-22, 2022-23 and 2023-24. duly certified by Chartered Accountant. The export and import data for the period 2020-21, 2021-22, 2022-23 and 2023-24 was retrieved from NSDL for cross verification with data submitted by them in the APR and same was found satisfactory.</p>

<p>निर्णय: विचार-विमर्श के बाद, समिति ने 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की अवधि के लिए इकाई के प्रदर्शन पर ध्यान दिया क्योंकि इकाई ने एसईजेड नियम 2006 के नियम 54 के अनुसार संचयी आधार पर सकारात्मक एनएफई हासिल किया था।</p> <p>समिति ने 2021-22 की अवधि के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में देरी के लिए इकाई को कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए कार्रवाई शुरू करने का भी निर्देश दिया।</p>	<p>Decision: After deliberation, the Committee noted the performance of the unit for the period 2020-21, 2021-22, 2022-23 and 2023-24 as the unit had achieved positive NFE on cumulative basis in terms of Rule 54 of SEZ Rules 2006.</p> <p>The Committee also directed to initiate action for issuance of Show Cause notice to the unit for delay in submission of APR for the period 2021-22.</p>
<p>एफएसआर 102. मेसर्स इंटर गोल्ड (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के 4 वर्षों की अवधि अर्थात् 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के लिए प्रदर्शन की निगरानी।</p> <p>इकाई ने 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की अवधि के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित एपीआर प्रस्तुत किया है। 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की अवधि के लिए निर्यात और आयात डेटा को एपीआर में उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए डेटा के साथ क्रॉस सत्यापन के लिए एनएसडीएल से प्राप्त किया गया और इसे संतोषजनक पाया गया।</p>	<p>FSR 102. Monitoring Performance of M/s. Inter Gold (India) Pvt. Ltd for the period of 4 years i.e. 2020-21, 2021-22, 2022-23 and 2023-24.</p> <p>The unit has submitted the APR for the period 2020-21, 2021-22, 2022-23 and 2023-24 duly certified by Chartered Accountant. The export and import data for the period 2020-21, 2021-22, 2022-23 and 2023-24 was retrieved from NSDL for cross verification with data submitted by them in the APR and same was found satisfactory.</p>
<p>निर्णय: विचार-विमर्श के बाद, समिति ने 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की अवधि के लिए इकाई के प्रदर्शन पर ध्यान दिया क्योंकि इकाई ने एसईजेड नियम 2006 के नियम 54 के अनुसार संचयी आधार पर सकारात्मक एनएफई हासिल किया था।</p>	<p>Decision: After deliberation, the Committee noted the performance of the unit for the period 2020-21, 2021-22, 2022-23 and 2023-24 as the unit had achieved positive NFE on cumulative basis in terms of Rule 54 of SEZ Rules 2006.</p>
<p>एफएसआर 103. मेसर्स ज्वेलक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यूनिट II के 4 वर्षों की अवधि अर्थात् 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के लिए प्रदर्शन की निगरानी।</p> <p>इकाई ने 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की अवधि के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित एपीआर प्रस्तुत किया है। 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की अवधि के लिए निर्यात और आयात डेटा को एपीआर में उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए डेटा के साथ क्रॉस सत्यापन के लिए एनएसडीएल से प्राप्त किया गया और इसे संतोषजनक पाया गया।</p>	<p>FSR 103. Monitoring Performance of M/s. Jewelx India Pvt. Ltd Unit II for the period of 4 years i.e. 2020-21, 2021-22, 2022-23 and 2023-24.</p> <p>The unit has submitted the APR for the period 2020-21, 2021-22, 2022-23 and 2023-24 duly certified by Chartered Accountant. The export and import data for the period 2020-21, 2021-22, 2022-23 and 2023-24 was retrieved from NSDL for cross verification with data submitted by them in the APR and same was found satisfactory.</p>
<p>निर्णय: विचार-विमर्श के बाद, समिति ने 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की अवधि के लिए इकाई के प्रदर्शन पर ध्यान दिया क्योंकि इकाई ने एसईजेड नियम 2006 के नियम 54 के अनुसार संचयी आधार पर सकारात्मक एनएफई हासिल किया था।</p>	<p>Decision: After deliberation, the Committee noted the performance of the unit for the period 2020-21, 2021-22, 2022-23 and 2023-24 as the unit had achieved positive NFE on cumulative basis in terms of Rule 54 of SEZ Rules 2006.</p>
<p>एफएसआर 104. मेसर्स जसानी ज्वेलरी (यूनिट-II) के 4 वर्षों की अवधि अर्थात् 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के लिए प्रदर्शन की निगरानी।</p> <p>इकाई ने 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की अवधि के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित एपीआर प्रस्तुत किया है। 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की अवधि के लिए निर्यात और आयात डेटा को एपीआर में उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए डेटा के साथ क्रॉस सत्यापन के लिए एनएसडीएल से प्राप्त किया गया और इसे संतोषजनक पाया गया।</p>	<p>FSR 104. Monitoring Performance of M/s. Jasani Jewellery (Unit-II) for the period of 4 years i.e. 2020-21, 2021-22, 2022-23 and 2023-24.</p> <p>The unit has submitted the APR for the period 2020-21, 2021-22, 2022-23 and 2023-24 duly certified by Chartered Accountant. The export and import data for the period 2020-21, 2021-22, 2022-23 and 2023-24 was retrieved from NSDL for cross verification with data submitted by them in the APR and same was found satisfactory.</p>

<p>निर्णय: विचार-विमर्श के बाद, समिति ने 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की अवधि के लिए इकाई के प्रदर्शन पर ध्यान दिया क्योंकि इकाई ने एसईजेड नियम 2006 के नियम 54 के अनुसार संचयी आधार पर सकारात्मक एनएफई हासिल किया था।</p> <p>समिति ने यह भी निर्देशित किया</p> <p>i. 2020-21 की अवधि के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में देरी के लिए इकाई को कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए कार्रवाई शुरू करें।</p> <p>ii. स्पष्ट करें कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए घोषित कच्चे माल की ओपनिंग पिछले वर्ष के समापन से मेल नहीं खा रही है।</p>	<p>Decision: After deliberation, the Committee noted the performance of the unit for the period 2020-21, 2021-22, 2022-23 and 2023-24 as the unit had achieved positive NFE on cumulative basis in terms of Rule 54 of SEZ Rules 2006.</p> <p>The Committee also directed</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Initiate action for issuance of Show Cause notice to the unit for delay in submission of APR for the period 2020-21. ii. Justification for opening of Raw material declared for FY 2020-21 is not matching with previous year closing balance variation.
<p>एफएसआर 105. मेसर्स मोहित डायमंड्स प्राइवेट लिमिटेड के 4 वर्षों की अवधि अर्थात् 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के लिए प्रदर्शन की निगरानी।</p> <p>इकाई ने 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की अवधि के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। वार्षिक रिपोर्ट में उनके द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के साथ क्रॉस सत्यापन के लिए एनएसडीएल से 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की अवधि के लिए निर्यात और आयात डेटा प्राप्त किया गया और इसे संतोषजनक पाया गया।</p>	<p>FSR 105. Monitoring Performance of M/s. Mohit Diamonds Pvt. Ltd for the period of 4 years i.e. 2020-21, 2021-22, 2022-23 and 2023-24.</p> <p>The unit has submitted the APR for the period 2020-21, 2021-22, 2022-23 and 2023-24 duly certified by Chartered Accountant. The export and import data for the period 2020-21, 2021-22, 2022-23 and 2023-24 was retrieved from NSDL for cross verification with data submitted by them in the APR and same was found satisfactory.</p>
<p>निर्णय: विचार-विमर्श के बाद, समिति ने 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की अवधि के लिए इकाई के प्रदर्शन पर ध्यान दिया क्योंकि इकाई ने एसईजेड नियम 2006 के नियम 54 के अनुसार संचयी आधार पर सकारात्मक एनएफई हासिल किया था।</p> <p>(i) समिति ने इकाई को रुपये 1,50,67,962.14 का बकाया भुगतान करने का भी निर्देश दिया।</p> <p>(ii) अनुमानित निर्यात और रोजगार को संशोधित करने के लिए इकाई को पत्र।</p>	<p>Decision: After deliberation, the Committee noted the performance of the unit for the period 2020-21, 2021-22, 2022-23 and 2023-24 as the unit had achieved positive NFE on cumulative basis in terms of Rule 54 of SEZ Rules 2006.</p> <p>The Committee also directed</p> <ol style="list-style-type: none"> i. The unit to clear the outstanding dues of Rs.1,50,67,962.14/-. ii. To issue Letter to unit to revise the projection and employment.
<p>एफएसआर 106. मेसर्स एमएसजेपीएल ज्वेलरी के 4 वर्षों की अवधि अर्थात् 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के लिए प्रदर्शन की निगरानी।</p> <p>इकाई ने 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की अवधि के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। वार्षिक रिपोर्ट में उनके द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के साथ क्रॉस सत्यापन के लिए एनएसडीएल से 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की अवधि के लिए निर्यात और आयात डेटा प्राप्त किया गया और इसे संतोषजनक पाया गया।</p>	<p>FSR 106. Monitoring Performance of M/s. MSJPL Jewellery for the period of 4 years i.e. 2020-21, 2021-22, 2022-23 and 2023-24.</p> <p>The unit has submitted the APR for the period 2020-21, 2021-22, 2022-23 and 2023-24 duly certified by Chartered Accountant. The export and import data for the period 2020-21, 2021-22, 2022-23 and 2023-24 was retrieved from NSDL for cross verification with data submitted by them in the APR and same was found satisfactory.</p>

<p>निर्णय: विचार-विमर्श के बाद, समिति ने 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की अवधि के लिए इकाई के प्रदर्शन पर ध्यान दिया क्योंकि इकाई ने एसईजेड नियम 2006 के नियम 54 के अनुसार संचयी आधार पर सकारात्मक एनएफई हासिल किया था।</p> <p>समिति ने यह भी निर्देशित किया</p> <ol style="list-style-type: none"> इकाई को 9999.64/- रुपये का बकाया चुकाना है। विदेशी मुद्रा प्राप्ति को मंजूरी देने के लिए पत्र जारी करना। 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की अवधि के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में देरी के लिए इकाई को कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए कार्रवाई शुरू करना। 	<p>Decision: After deliberation, the Committee noted the performance of the unit for the period 2020-21, 2021-22, 2022-23 and 2023-24 as the unit had achieved positive NFE on cumulative basis in terms of Rule 54 of SEZ Rules 2006.</p> <p>The Committee also directed</p> <ol style="list-style-type: none"> The unit to clear the outstanding dues of Rs.9999.64 /-. To issue the letter to clear the foreign exchange realization. Initiate action for issuance of Show Cause notice to the unit for delay in submission of APR for the period 2021-22, 2022-23 and 2023-24.
<p>एफएसआर 107. मेसर्स नुअंस ज्वेल प्राइवेट लिमिटेड के 4 वर्षों की अवधि अर्थात् 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के लिए प्रदर्शन की निगरानी।</p> <p>इकाई ने 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की अवधि के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित एपीआर प्रस्तुत किया है। 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की अवधि के लिए निर्यात और आयात डेटा को एपीआर में उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए डेटा के साथ क्रॉस सत्यापन के लिए एनएसडीएल से प्राप्त किया गया और इसे संतोषजनक पाया गया।</p>	<p>FSR 107. Monitoring Performance of M/s. Nuance Jewel Pvt. Ltd for the period of 4 years i.e. 2020-21, 2021-22 , 2022-23 and 2023-24.</p> <p>The unit has submitted the APR for the period 2020-21, 2021-22 , 2022-23 and 2023-24 duly certified by Chartered Accountant. The export and import data for the period 2020-21, 2021-22 , 2022-23 and 2023-24 was retrieved from NSDL for cross verification with data submitted by them in the APR and same was found satisfactory.</p>
<p>निर्णय: विचार-विमर्श के बाद, समिति ने 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की अवधि के लिए इकाई के प्रदर्शन पर ध्यान दिया क्योंकि इकाई ने एसईजेड नियम 2006 के नियम 54 के अनुसार संचयी आधार पर सकारात्मक एनएफई हासिल किया था।</p> <p>समिति ने यह भी निर्देश दिया कि</p> <ol style="list-style-type: none"> इकाई को 7,500/- रुपये का बकाया चुकाना होगा। 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की अवधि के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में देरी के लिए इकाई को कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए कार्रवाई शुरू करना। 	<p>Decision: After deliberation, the Committee noted the performance of the unit for the period 2020-21, 2021-22, 2022-23 and 2023-24 as the unit had achieved positive NFE on cumulative basis in terms of Rule 54 of SEZ Rules 2006.</p> <p>The committee also directed</p> <ol style="list-style-type: none"> The unit has to pay the outstanding amount of Rs.7,500/-. To initiate action for issuance of Show Cause notice to the unit for delay in submission of APR for the period 2020-21, 2021-22, 2022-23 and 2023-24.

<p>एफएसआर 108. मेसर्स रेनेसां ग्लोबल लिमिटेड के 4 वर्ष की अवधि अर्थात् 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के लिए प्रदर्शन की निगरानी।</p> <p>इकाई ने 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की अवधि के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। वार्षिक रिपोर्ट में उनके द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के साथ क्रॉस सत्यापन के लिए एनएसडीएल से 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की अवधि के लिए निर्यात और आयात डेटा प्राप्त किया गया और इसे संतोषजनक पाया गया।</p> <p>निर्णय: विचार-विमर्श के बाद, समिति ने 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की अवधि के लिए इकाई के प्रदर्शन पर ध्यान दिया क्योंकि इकाई ने एसईजेड नियम 2006 के नियम 54 के अनुसार संचयी आधार पर सकारात्मक एनएफई हासिल किया था।</p> <p>समिति ने यह भी निर्देश दिया</p> <p>(i) एपीआर जमा करने की छूट के लिए कोविड अवधि के दौरान एमओसी एंड आई द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार एपीआर जमा करने में हुई देरी को माफ किया जाता है।</p> <p>(ii) समिति ने इकाई को रूपए 34,933.30 का बकाया भुगतान करने का भी निर्देश दिया।</p>	<p>FSR 108. Monitoring Performance of M/s. Renaissance Global Ltd. for the period of 4 years i.e.2020-21,2021-22,2022-23and 2023-24.</p> <p>The unit has submitted the APR for the period 2020-21,2021-22,2022-23and 2023-24 duly certified by Chartered Accountant. The export and import data for the period 2020-21,2021-22,2022-23and 2023-24 was retrieved from NSDL for cross verification with data submitted by them in the APR and same was found satisfactory.</p> <p>Decision: After deliberation, the Committee noted the performance of the unit for the period 2020-21,2021-22,2022-23and 2023-24 as the unit had achieved positive NFE on cumulative basis in terms of Rule 54 of SEZ Rules 2006.</p> <p>The committee also directed</p> <ol style="list-style-type: none"> i. to Condone the delay in submission of APR as per notification issue by MOC & I during covid period for expemtion to submit the APR. ii. The unit to clear the outstanding dues of Rs.34,933.30/-.
<p>एफएसआर 109. मेसर्स रोजी ब्लू प्राइवेट लिमिटेड के 4 वर्षों की अवधि अर्थात् 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के लिए प्रदर्शन की निगरानी।</p> <p>इकाई ने 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की अवधि के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित एपीआर प्रस्तुत किया है। 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की अवधि के लिए निर्यात और आयात डेटा को एपीआर में उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए डेटा के साथ क्रॉस सत्यापन के लिए एनएसडीएल से प्राप्त किया गया और इसे संतोषजनक पाया गया।</p> <p>निर्णय: विचार-विमर्श के बाद, समिति ने 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की अवधि के लिए इकाई के प्रदर्शन पर ध्यान दिया क्योंकि इकाई ने एसईजेड नियम 2006 के नियम 54 के अनुसार संचयी आधार पर सकारात्मक एनएफई हासिल किया था।</p> <p>समिति ने यह भी निर्देशित किया</p> <p>i. 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की अवधि के लिए एपीआर प्रस्तुत करने में देरी के लिए इकाई को कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए कार्रवाई शुरू करें।</p> <p>ii. कम निर्यात प्रदर्शन के लिए चेतावनी पत्र जारी करना।</p>	<p>FSR 109. Monitoring Performance of M/s. Rosy Blue Pvt. Ltd. for the period of 4 years i.e. 2020-21, 2021-22, 2022-23 and 2023-24.</p> <p>The unit has submitted the APR for the period 2020-21, 2021-22, 2022-23 and 2023-24 duly certified by Chartered Accountant. The export and import data for the period 2020-21, 2021-22, 2022-23 and 2023-24 was retrieved from NSDL for cross verification with data submitted by them in the APR and same was found satisfactory.</p> <p>Decision: After deliberation, the Committee noted the performance of the unit for the period 2020-21, 2021-22, 2022-23 and 2023-24 as the unit had achieved positive NFE on cumulative basis in terms of Rule 54 of SEZ Rules 2006.</p> <p>The Committee also directed to</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Initiate action for issuance of Show Cause notice to the unit for delay in submission of APR for the period 2020-21, 2021-22, 2022-23 and 2023-24. ii. Issue warning letter for low export performance.

<p>एफएसआर 110. मेसर्स शांगोल्ड इंडिया लिमिटेड के 2 वर्ष की अवधि अर्थात 2020-21 और 2021-22 के लिए प्रदर्शन की निगरानी।</p> <p>इकाई ने 2020-21 और 2021-22 की अवधि के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। वार्षिक रिपोर्ट में उनके द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के साथ क्रॉस सत्यापन के लिए एनएसडीएल से 2020-21 और 2021-22 की अवधि के लिए निर्यात और आयात डेटा प्राप्त किया गया और इसे संतोषजनक पाया गया।</p>	<p>FSR 110. Monitoring Performance of M/s. Shangold India Ltd for the period of 2 years i.e. 2020-21 and 2021-22.</p> <p>The unit has submitted the APR for the period 2020-21 and 2021-22 duly certified by Chartered Accountant. The export and import data for the period 2020-21 and 2021-22 was retrieved from NSDL for cross verification with data submitted by them in the APR and same was found satisfactory.</p>
<p>निर्णय: विचार-विमर्श के बाद, समिति ने 2020-21 और 2021-22 की अवधि के लिए इकाई के प्रदर्शन पर ध्यान दिया क्योंकि इकाई ने एसईजेड नियम 2006 के नियम 54 के अनुसार संचयी आधार पर सकारात्मक एनएफई हासिल किया था।</p> <p>समिति ने यह भी निर्देशित किया</p> <ol style="list-style-type: none"> i. इकाई को रु 10,82,405.33 का बकाया चुकाना चुकाना होगा। ii. 2020-21 और 2021-22 की अवधि के लिए एपीआर जमा करने में देरी के लिए इकाई को कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए कार्रवाई शुरू करें। 	<p>Decision: After deliberation, the Committee noted the performance of the unit for the period 2020-21 and 2021-22 as the unit had achieved positive NFE on cumulative basis in terms of Rule 54 of SEZ Rules 2006.</p> <p>The Committee also directed</p> <ol style="list-style-type: none"> i. The unit to clear the outstanding dues of Rs.10,82,405.33/-. ii. to initiate action for issuance of Show Cause notice to the unit for delay in submission of APR for the period 2020-21 and 2021-22.
<p>एफएसआर 111. मेसर्स शंकर ज्वेल्स लिमिटेड के 1 वर्ष अर्थात 2022-23 की अवधि के लिए प्रदर्शन की निगरानी।</p> <p>इकाई ने 2022-23 की अवधि के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। वार्षिक रिपोर्ट में उनके द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के साथ क्रॉस सत्यापन के लिए एनएसडीएल से 2022-23 की अवधि के लिए निर्यात और आयात डेटा प्राप्त किया गया और इसे संतोषजनक पाया गया।</p>	<p>FSR 111. Monitoring Performance of M/s. Shankar Jewels Ltd for the period of 1 year i.e. 2022-23.</p> <p>The unit has submitted the APR for the period 2022-23 duly certified by Chartered Accountant. The export and import data for the period 2022-23 was retrieved from NSDL for cross verification with data submitted by them in the APR and same was found satisfactory.</p>
<p>निर्णय: विचार-विमर्श के बाद, समिति ने 2022-23 की अवधि के लिए इकाई के प्रदर्शन पर ध्यान दिया क्योंकि इकाई ने एसईजेड नियम 2006 के नियम 54 के अनुसार संचयी आधार पर सकारात्मक एनएफई हासिल किया था।</p> <p>समिति ने यह भी निर्देश दिया कि</p> <ol style="list-style-type: none"> i. इकाई को 76,73,778.35/- रुपये का बकाया चुकाना है। ii. 2022-23 की अवधि के लिए एपीआर जमा करने में देरी के लिए इकाई को कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए कार्रवाई शुरू करें। iii. विदेशी मुद्रा प्राप्ति की पुष्टि करने के लिए एसओ को पत्र लिखें। 	<p>Decision: After deliberation, the Committee noted the performance of the unit for the period 2022-23 as the unit had achieved positive NFE on cumulative basis in terms of Rule 54 of SEZ Rules 2006.</p> <p>The Committee also directed</p> <ol style="list-style-type: none"> i. The unit to clear the outstanding dues of Rs.76,73,778.35/- ii. to initiate action for issuance of Show Cause notice to the unit for delay in submission of APR for the period 2022-23. iii. to write letter to SO to verify the foreign exchange realization.

<p>एफएसआर 112. मेसर्स सितारा ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड के 2 वर्ष की अवधि अर्थात 2022-23 और 2023-24 के लिए प्रदर्शन की निगरानी।</p> <p>इकाई ने 2022-23 और 2023-24 की अवधि के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। वार्षिक रिपोर्ट में उनके द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के साथ क्रॉस सत्यापन के लिए एनएसडीएल से 2022-23 और 2023-24 की अवधि के लिए निर्यात और आयात डेटा प्राप्त किया गया और इसे संतोषजनक पाया गया।</p>	<p>FSR 112. Monitoring Performance of M/s. Sitara Jewellery Pvt. Ltd for the period of 2 years i.e. 2022-23 and 2023-24.</p> <p>The unit has submitted the APR for the period 2022-23 and 2023-24 duly certified by Chartered Accountant. The export and import data for the period 2022-23 and 2023-24 was retrieved from NSDL for cross verification with data submitted by them in the APR and same was found satisfactory.</p>
<p>निर्णय: विचार-विमर्श के बाद, समिति ने 2022-23 और 2023-24 की अवधि के लिए इकाई के प्रदर्शन पर ध्यान दिया क्योंकि इकाई ने एसईजेड नियम 2006 के नियम 54 के अनुसार संचयी आधार पर सकारात्मक एनएफई हासिल किया था।</p> <p>समिति ने यह भी निर्देश दिया कि</p> <p>i. 2022-23 और 2023-24 की अवधि के लिए एपीआर जमा करने में देरी के लिए इकाई को कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए कार्रवाई शुरू करें।</p> <p>ii. निर्यात बढ़ाने के लिए इकाई को पत्र।</p>	<p>Decision: After deliberation, the Committee noted the performance of the unit for the period 2022-23 and 2023-24 as the unit had achieved positive NFE on cumulative basis in terms of Rule 54 of SEZ Rules 2006.</p> <p>The Committee also directed to</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Initiate action for issuance of Show Cause notice to the unit for delay in submission of APR for the period 2022-23 and 2023-24. ii. Issue Letter to unit to increase export.
<p>एफएसआर 113. मेसर्स सुपरजेम्स ज्वेलरी मैनुफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड के 2 वर्ष की अवधि अर्थात 2022-23 और 2023-24 के लिए प्रदर्शन की निगरानी।</p> <p>इकाई ने 2022-23 और 2023-24 की अवधि के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। वार्षिक रिपोर्ट में उनके द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के साथ क्रॉस सत्यापन के लिए एनएसडीएल से 2022-23 और 2023-24 की अवधि के लिए निर्यात और आयात डेटा प्राप्त किया गया और इसे संतोषजनक पाया गया।</p>	<p>FSR 113. Monitoring Performance of M/s. Supergems Jewellery Mfg Pvt.Ltd for the period of 2 years i.e. 2022-23 and 2023-24.</p> <p>The unit has submitted the APR for the period 2022-23 and 2023-24 duly certified by Chartered Accountant. The export and import data for the period 2022-23 and 2023-24 was retrieved from NSDL for cross verification with data submitted by them in the APR and same was found satisfactory.</p>
<p>निर्णय: विचार-विमर्श के बाद, समिति ने 2022-23 और 2023-24 की अवधि के लिए इकाई के प्रदर्शन पर ध्यान दिया क्योंकि इकाई ने एसईजेड नियम 2006 के नियम 54 के अनुसार संचयी आधार पर सकारात्मक एनएफई हासिल किया था।</p>	<p>Decision: After deliberation, the Committee noted the performance of the unit for the period 2022-23 and 2023-24 as the unit had achieved positive NFE on cumulative basis in terms of Rule 54 of SEZ Rules 2006.</p>
<p>एफएसआर 114. मेसर्स ट्रेज़ा ज्वेल्स एलएलपी के 4 वर्षों की अवधि अर्थात 2020-21,2021-22,2022-23 और 2023-24 के लिए प्रदर्शन की निगरानी।</p> <p>इकाई ने 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की अवधि के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। वार्षिक रिपोर्ट में उनके द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के साथ क्रॉस सत्यापन के लिए एनएसडीएल से 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की अवधि के लिए निर्यात और आयात डेटा प्राप्त किया गया और इसे संतोषजनक पाया गया।</p>	<p>FSR 114. Monitoring Performance of M/s. Trezza Jewels LLP for the period of 4 years i.e. 2020-21,2021-22,2022-23 and 2023-24.</p> <p>The unit has submitted the APR for the period 2020-21,2021-22,2022-23 and 2023-24 duly certified by Chartered Accountant. The export and import data for the period 2020-21,2021-22,2022-23 and 2023-24 was retrieved from NSDL for cross verification with data submitted by them in the APR and same was found satisfactory.</p>

<p>निर्णय: विचार-विमर्श के बाद, समिति ने 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की अवधि के लिए इकाई के प्रदर्शन पर ध्यान दिया क्योंकि इकाई ने एसईजेड नियम 2006 के नियम 54 के अनुसार संचयी आधार पर सकारात्मक एनएफई हासिल किया था।</p> <p>समिति ने 2020-21 और 2021-22 की अवधि के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में देरी के लिए इकाई को कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए कार्रवाई शुरू करने का भी निर्देश दिया।</p>	<p>Decision: After deliberation, the Committee noted the performance of the unit for the period 2020-21, 2021-22, 2022-23 and 2023-24 as the unit had achieved positive NFE on cumulative basis in terms of Rule 54 of SEZ Rules 2006.</p> <p>The Committee also directed initiate action for issuance of Show Cause notice to the unit for delay in submission of APR for the period 2020-21 and 2021-22.</p>
<p>एफएसआर 115. मेसर्स वैभव ग्लोबल लिमिटेड के 4 वर्षों की अवधि अर्थात् 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के लिए प्रदर्शन की निगरानी। इकाई ने 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की अवधि के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित एपीआर प्रस्तुत किया है। 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की अवधि के लिए निर्यात और आयात डेटा को एपीआर में उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए डेटा के साथ क्रॉस सत्यापन के लिए एनएसडीएल से प्राप्त किया गया और इसे संतोषजनक पाया गया।</p>	<p>FSR 115. Monitoring Performance of M/s. Vaibhav Global Limited for the period of 4 years i.e. 2020-21, 2021-22, 2022-23 and 2023-24.</p> <p>The unit has submitted the APR for the period 2020-21, 2021-22, 2022-23 and 2023-24 duly certified by Chartered Accountant. The export and import data for the period 2020-21, 2021-22, 2022-23 and 2023-24 was retrieved from NSDL for cross verification with data submitted by them in the APR and same was found satisfactory.</p>
<p>निर्णय: विचार-विमर्श के बाद, समिति ने 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की अवधि के लिए इकाई के प्रदर्शन पर ध्यान दिया क्योंकि इकाई ने एसईजेड नियम 2006 के नियम 54 के अनुसार संचयी आधार पर सकारात्मक एनएफई हासिल किया था।</p>	<p>Decision: After deliberation, the Committee deferred the performance of the unit for the period 2020-21, 2021-22, 2022-23 and 2023-24 as the unit representative did not attend the meeting.</p>
<p>एफएसआर 116. मेसर्स विषय सेमीकंडक्टर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के 3 वर्ष की अवधि अर्थात् 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के लिए प्रदर्शन की निगरानी। इकाई ने 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की अवधि के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। वार्षिक रिपोर्ट में उनके द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के साथ क्रॉस सत्यापन के लिए एनएसडीएल से 2023-24 की अवधि के लिए निर्यात और आयात डेटा प्राप्त किया गया और इसे संतोषजनक पाया गया।</p>	<p>FSR 116. Monitoring Performance of M/s. Vishay Semiconductor India Pvt. Ltd for the period of 3 years i.e. 2021-22, 2022-23 and 2023-24.</p> <p>The unit has submitted the APR for the period . 2021-22, 2022-23 and 2023-24 duly certified by Chartered Accountant. The export and import data for the period 2023-24 was retrieved from NSDL for cross verification with data submitted by them in the APR and same was found satisfactory.</p>
<p>निर्णय: विचार-विमर्श के बाद, समिति ने 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की अवधि के लिए इकाई के प्रदर्शन पर ध्यान दिया क्योंकि इकाई ने एसईजेड नियम 2006 के नियम 54 के अनुसार संचयी आधार पर सकारात्मक एनएफई हासिल किया था।</p> <p>समिति ने 2023-24 की अवधि के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में देरी के लिए इकाई को कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए कार्रवाई शुरू करने का भी निर्देश दिया।</p>	<p>Decision: After deliberation, the Committee noted the performance of the unit for the period. 2021-22, 2022-23 and 2023-24 as the unit had achieved positive NFE on cumulative basis in terms of Rule 54 of SEZ Rules 2006.</p> <p>The Committee also directed to initiate action for issuance of Show Cause notice to the unit for delay in submission of APR for the period 2023-24.</p>
<p>बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुई। The Meeting concluded with a vote of thanks to the chair.</p> <p style="text-align: right;">ज्ञानेश्वर बी पाटीलआईएएस अध्यक्ष-सह-विकास आयुक्त सीपूज-सेज</p>	

